सप्लाई विविध प्रकरण 20/2025 अनवान सरकार जरीये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर बनाम अब्दुल अजीज पुत्र अब्दुल मजीद

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 20/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		अब्दुल अजीज पुत्र अब्दुल मजीद निवासी अन्सल प्लाजा के पीछे, शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः –
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 28.07.2025

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी अब्दुल अजीज पुत्र अब्दुल मजीद निवासी अन्सल प्लाजा के पीछे शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों,01 रिफलिंग मशीन, 01 इलेक्ट्रिक कांटे व कनेक्टिंग नोजल को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.10.2024 को जिला प्रवर्तन अधिकारी मय निरीक्षक टीम कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा अन्सल प्लाजा के पीछे स्थित शॉपिंग सेन्टर में अबरार न्यू फर्निचर के पास स्थित छोटे कमरे की आकस्मिक जांच करने पर उपस्थित व्यक्ति अब्दुल अजीज द्वारा मौके पर 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (एचपी) भण्डारित कर 01

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

रिफलिंग मशीन, 01 इलेक्ट्रिक कांटा व कनेक्टिंग नोजल का उपयोग कर अवैध गैस रिफलिंग किया जाना पाया गया। मौके पर एक सिलेण्डर इलेक्ट्रिक कांटे के ऊपर रखकर रिफलिंग मशीन से जोडकर रखा जाना पाया गया। मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर के अवैध भण्डारण के संबध में अप्रार्थी से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ ।

मौके पर अवैध भण्डारित कर अवैध गैस रिफलिंग कार्य में उपयोग करते पाए गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों का विवरण इस प्रकार है:–

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	एच.पी.सी.एल	278666S	15.6 कि.ग्रा.	24.6 कि.ग्रा.	9.0 कि.ग्रा.
2.	एच.पी.सी.एल	406452T	15.7 कि.ग्रा.	29.7 कि.ग्रा.	14.0 कि.ग्रा.

उक्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा रिफलिंग सामग्री को जब्त सरकार किया जाकर श्री मांगीलाल पुत्र श्री भागचंद जाति विश्नोई निवासी जाजीवाल धोरा, जोधपुर हाल सैल्समेन सांखला गैस एजेन्सी, उम्मेद उद्यान के पीछे, जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा रिफलिंग सामग्री का अवैध भण्डारण कर गैस रिफलिंग में उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों व रिफलिंग सामग्री को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच कुल 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों एंव रिफलिंग सामग्री को अवैध रूप से भण्डारित कर अवैद्य गैस रिफलिंग कार्य में उपयोग लिया जाना पाया गया है जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों व 01 रिफलिंग मशीन, 01 इलेक्ट्रिक कांटे व कनेक्टिंग नोजल को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी को प्रकरण में इस कार्यालय से जारी नोटिस क्रमांक 141 दिनांक 30.04.2025 बाद तामिल प्राप्त हुआ। नोटिस तामिली उपरान्त भी आगामी पेशी दिनांक 12.06.2025 को अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने पर न्यायहित में वास्ते जवाब समय दिया

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

जाकर पत्रावली दिनांक 17.07.2025 एंव दिनांक 28.07.2025 को पेश हुई। वक्त बहस अप्रार्थी पुनः अनुपस्थित रहा।

अप्रार्थी द्वारा बावजूद सूचना निरन्तर अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए हमने विभागीय पेरौकार की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एंव मौका फर्द का अवलोकन किया । जिस अनुसार वक्त जांच मौकास्थल पर अप्रार्थी के कब्जे से जब्तसूदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर व रिफलिंग सामग्री अवैध रूप से भण्डारित किए पाए गए। जिनमें से एक सिलेण्डर इलेक्ट्रिक कांटे के ऊपर रखकर रिफलिंग मशीन से जोडकर रखा जाना पाया गया, मौका फर्द अनुसार जब्तसुदा एक सिलेण्डर में गैस की मात्रा निर्धारित माप से कम पायी गई जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों का अप्रार्थी द्वारा अवैध गैस रिफलिंग कार्य में उपयोग किया गया है। उक्तानुसार अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर एंव रिफलिंग सामग्री का अवैध गैस रिफलिंग करने में उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों(एचपी) व 01 रिफलिंग मशीन मय रेग्यूलेटर नोजल लगे हुए व 01 इलेक्ट्रिक कांटे को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों(एचपी) व 01 रिफलिंग मशीन मय रेग्यूलेटर नोजल लगे हुए व 01 इलेक्ट्रिक कांटे को राज्यसात कर नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित R.A.S)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर